/

वैमानिक सेवाओं के लिये भारत और जापान के बीच करार

भारत सरकार और जापान सरकार ने

अपने अपने राज्यक्षेत्रों के बीच और परे वैमानिक सेवायें स्थापित करने के प्रयोजन के लिये करार करने की इच्छा से,

तदनुकूल अपने अपने प्रतिनिधियों को इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है जिनमें कि निम्न रूप से करार हुआ है :-

अनुच्छेद 1

7 दिसम्बर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षारित अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी अभिसमय (जो कि एतत्पश्चात् अभिसमय कहा गया है) के वे उपबन्ध, जो कि एतदधीन स्थापित वैमानिक सेवाओं को लागू हैं, अपने वर्तमान पदों में, या दोनों संविदाकर्त्ता पक्षकारों के बारे में ऐसे संशोधित रूप में, जैसा कि अभिसमय के सुसंगत उपबन्धों के अनुकूल हो, संविदाकर्त्ता पक्षकारों के बीच वर्तमान करार के प्रयोजन के लिये वर्तमान करार की अवधि में लागू रहेंगे ।

अनुच्छेद 2

(1) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, वर्तमान करार के प्रयोजन के लिये :-

(क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद से भारत की अवस्था में सिविल विमानी विभाग के महानिदेशक, भारत, और उक्त सिविल विमानी विभाग के महानिदेशक द्वारा अब किये जाने वाले कृत्यों में से कोई, या वैसे ही, कृत्य करने के लिये प्राधिकृत कोई व्यक्ति या निकाय और जापान की अवस्था में परिवहन मंत्रालय और उक्त मंत्रालय द्वारा अब प्रयोग किये जाने वाले कृत्यों में से कोई, या वैसे ही, कृत्य करने के लिये प्राधिकृत कोई व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है,

(ख) "नामांकित आकाश वाहनी" पद से वह आकाश वाहनी अभिप्रेत है जो कि एक संविदाकर्ता पक्ष द्वारा दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार को लिखित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में उल्लिखित मार्ग पर वैमानिक सेवाओं को चलाने के लिये नामांकित कर दी गई होगी और जिसे कि दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार से वर्तमान करार के अनुच्छेद 4 के उपबन्धों के अनुकूल समुचित चालन- अनुज्ञा मिल गई है,

(ग) "वैमानिक सेवा" पद से वह कोई अनुसूचित वैमानिक सेवा अभिप्रेत है जो कि यात्रियों, माल या डाक के लोक परिवहन के लिये विमान द्वारा की जाती है,

(घ) "अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवा" से वह वैमानिक सेवा अभिप्रेत है जो कि एक से अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्रों के ऊपर वाले वायवाकाश में होकर गुज़रती है,

(ङ) "आकाश वाहनी" से ऐसा कोई वैमानिक परिवहन समुद्यम अभिप्रेत है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवा की पेशकश करता है या उसे चलाता है,

(च) "अट्रैफिक प्रयोजन के लिये विराम" पदावलि से यात्रियों, माल या डाक लेने या उतारने के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये उतरना अभिप्रेत है,

(छ) "अनुसूची" पद से वर्तमान करार की, या वर्तमान करार के अनुच्छेद 15 के उपबन्धों के अनुकूल यथा संशोधित, अनुसूची अभिप्रेत है,

(2) अनुसूची वर्तमान करार का अभिन्न भाग है और "करार" के प्रति सब निर्देश के अन्तर्गत, वहां के सिवाय जहां कि अन्यथा उपबन्धित है, अनुसूची के प्रति निर्देश भी होगा ।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकर्ता पक्षकार दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार को वे अधिकार देता है जो कि अनुसूची के सम्बद्ध खण्ड में उल्लिखित मार्गों पर अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवाओं को (जो कि एतत्पश्चात् क्रमश: "उल्लिखित

मार्ग " और " करारकृत सेवायें " कहे गये या कही गई हैं) स्थापित करने के हेतु उसकी आकाश वाहनियों को योग्य बनाने के लिये वर्तमान करार में उल्लिखित किये गये हैं ।

अनुच्छेद 4

(1) किसी " उल्लिखित मार्ग " पर करारकृत सेवायें उस संविदा-कर्त्ता पक्षकार के विकल्प पर, जिसे कि वर्तमान करार के अनुच्छेद 3 के अधीन अधिकार दिये गये हैं, तत्काल या बाद वाली तारीख पर किन्तु -

(क) जिस संविदाकर्त्ता पक्षकार को अधिकार दिये गये हैं उस द्वारा उस मार्ग के लिये आकाश वाहनी या आकाश वाहनियों को नामांकित कर दिये जाने पर, और

(ख) अधिकार देने वाले संविदाकर्त्ता पक्षकार द्वारा सम्पृक्त आकाश वाहनी या आकाश वाहनियों को समुचित चालन-अनुज्ञा की, जिसे कि वह इस अनुच्छेद के पेरा (2) और अनुच्छेद 7 के पेरा (1) के अधीन रहते हुए विलम्ब के बिना देने के लिये बाध्य होगा, दिये जाने पर

ही, न कि उससे पहले, शुरू की जा सकेंगी ।

(2) नामांकित आकाश वाहनियों में से प्रत्येक से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों का यह समाधान करे कि वह उन शर्तों को पूरा करने के लिये योग्य है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवाओं के चालन को उन प्राधिकारियों द्वारा प्रसामान्यत: और युक्तियुक्त रूप में लागू किये जाने वाली विधियों और विनियमों द्वारा विहित की गई हैं ।

अनुच्छेद 5

(1) वर्तमान करार के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संविदाकर्त्ता पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियां उस समय तक, जब तक कि वे उल्लिखित मार्ग पर करारकृत सेवा चलाती रहेंगी निम्न अर्थात् -

(क) उतरे बिना दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र के पार

उड़ने के,

(ख) उक्त राज्य क्षेत्र में अट्रैफिक प्रयोजनों के लिये विराम करने के, और

(ग) उक्त राज्य क्षेत्र में उन स्थानों में, जो कि अनुसूची में उस मार्ग के लिये उल्लिखित हैं, यात्रियों, माल और डाक के अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को उतारने या लेने के प्रयोजनों के लिये विराम के,

विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगी।

(2) इस अनुच्छेद के पैरा (1) की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह एक संविदाकर्त्ता पक्षकार की आकाश वाहनियों को दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र में के ही दूसरे स्थान को जाने वाले यात्रियों, माल या डाक को उस संविदाकर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लेने का विशेषाधिकार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 6

(1) वे प्रभार जिन्हें कि संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से कोई अपने नियंत्रणाधीन विमान पत्तनों और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिये, दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियों पर लगा सकेगा या लगाये जाने देगा उन प्रभारों से अधिक न होंगे जो कि वैसी ही अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवायें उपबन्धित करने के लिये प्रथम संविदाकर्त्ता पक्षकार की किसी राष्ट्रीय आकाश-वाहनी द्वारा ऐसे विमान पत्तनों और सुविधाओं के उपयोग के लिये दिये जाते हैं।

(2) ऐसे फ्यूल, उपस्नेहन तेल, अतिरिक्त पुर्जे, नियमित साज-सामान और वैमानिक भाण्डों के प्रदाय पर, जो कि एक संविदाकर्त्ता पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियों के विमान में दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र में लगा लिये गये या चढ़ा लिये गये हैं और ऐसे विमान द्वारा या उसमें उपयोग के लिये ही आशयित हैं और उस राज्य क्षेत्र में के अन्तिम गन्तव्य विमान-पत्तन से प्रस्थान के समय विमान में ही बना रहता है या बने रहते हैं, सीमा शुल्कों, निरीक्षण फीसों, और तत्सदृश राष्ट्रीय शुल्कों या

प्रभारों के बारे में पहले संविदाकारी पक्षकार की आकाश वाहनियों से वह बर्ताव किया जायेगा जो कि उस बर्ताव से कम अच्छा नहीं है जैसा कि दूसरा संविदाकारी पक्षकार अधिकतम अनुग्राह्य राष्ट्र की, या स्वयं अपने राष्ट्र वाली, उन आकाश वाहनियों के साथ करता है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक सेवाओं में लगी हुई हैं, परन्तु संविदाकारी पक्षकारों में से कोई दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियों को सीमाशुल्कों, निरीक्षण फीसों या तत्सदृश राष्ट्रीय शुल्कों या प्रभारों से छूट या परिहार देने के आभार के अधीन तब तक न होगा जब तक कि ऐसा दूसरा संविदाकारी पक्षकार पहले संविदाकारी पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियों को ऐसे प्रभारों से छूट या परिहार नहीं दे देता है।

अनुच्छेद 7

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार वर्तमान करार के अनुच्छेद 5 के पैरा (1) में उल्लिखित विशेषाधिकारों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार द्वारा नामांकित आकाश वाहनी के विषय में ऐसी किसी सूरत में, जिसमें कि उसका यह समाधान नहीं होता कि ऐसी आकाश वाहनी का सारभूत स्वामित्व और उस पर प्रभावी नियंत्रण आकाश वाहनी को नामांकित करने वाले संविदाकारी पक्षकार में या ऐसे संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्रिकों में निहित है, विधारित या अपखण्डित करने का, या उस आकाश वाहनी द्वारा उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के बारे में ऐसी शर्तें, जैसी कि वह आवश्यक समझे, लगाने का अधिकार संरक्षित रखता है।

(2) प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार ऊपर के पैरा (1) में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के दूसरे संविदाकारी पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनी द्वारा प्रयोग को उस सूरत में, जिसमें कि वह आकाश वाहनी उन विशेषाधिकारों को देने वाले संविदाकारी पक्षकार की ऐसी विधियों और ऐसे विनियमों का अनुवर्तन करने में, जैसे कि अभिसमय के अनुच्छेद 11 और 13 में निर्दिष्ट हैं, असफल रहती है या वर्तमान करार में विहित शर्तों के अनुकूल चालन करने में अन्यथा असफल रहती है, निलंबित करने का या उस आकाश वाहनी द्वारा उन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के बारे में ऐसी शर्तें, जैसी कि वह आवश्यक समझे, लगाने का अधिकार संरक्षित रखता है।

परन्तु जब तक कि अविलम्ब निलम्बन या शर्तों का लगाना ऐसी विधियों और विनियमों के अतिरिक्त अतिलंघन को रोकने के लिये आवश्यक न हो, इस अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार से परामर्श करने के बाद ही किया जायेगा ।

अनुच्छेद 8

दोनों संविदाकर्ता पक्षकारों की आकाश वाहनियों को करारकृत सेवाओं को अपने अपने राज्य क्षेत्रों के बीच और परे चलाने के लिये सम्यक् और समान अवसर होगा ।

अनुच्छेद 9

करारकृत सेवाओं को संविदाकर्ता पक्षकारों में से किसी की आकाश वाहनियों द्वारा चलाये जाने में, दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा जिससे कि उन सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े जिन्हें कि अपरवर्ती उन्हीं पूरे मार्गों पर या मार्गों के भाग पर उपबन्धित कर रही हैं ।

अनुच्छेद 10

(1) संविदाकर्ता पक्षकारों की नामांकित आकाश वाहनियों द्वारा उपबन्धित करारकृत सेवायें ऐसी सेवाओं के लिये जनता की आवश्यकताओं से घनिष्ठतः सम्बन्धित होंगी ।

(2) नामांकित आकाश वाहनी द्वारा उपबन्धित करारकृत सेवायें वह वहन-सामर्थ्य उपबन्धित करने का अपना प्राथमिक उद्देश्य रखेंगी जो कि उस आकाश वाहनी को नामांकित करने वाले संविदाकर्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र से उद्भूत होने वाले या वहां के लिये जाने वाले यात्रियों, माल और डाक के वहन की चालू और युक्तियुक्त रूपेण पूर्वानुमानित आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त हो । आकाश वाहनी को नामांकित करने वाले राज्यों से भिन्न राज्यों के राज्य क्षेत्रों में के उल्लिखित मार्गों पर के स्थानों में लिये गये या उतारे गये यात्रियों, माल या डाक के वहन के लिये उपबन्ध इन साधारण सिद्धान्तों के अनुकूल किया जायेगा कि वहन

सामर्थ्य -

(क) आकाश वाहनी को नामांकित करने वाले संविदाकर्त्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र को ट्रैफिक या वहां से ट्रैफिक की आवश्यकताओं से,

(ख) आकाश वाहनी के पारगामी - चालन की आवश्यकताओं से, और

(ग) स्थानीय और प्रादेशिक सेवाओं को गणना में लेने के पश्चात् उस क्षेत्र की ट्रैफिक आवश्यकताओं से, जिनमें होकर कि आकाश वाहनी जाती है,

सम्बद्ध होगी ।

अनुच्छेद 11

(1) चालन लागत, युक्तियुक्त लाभ, सेवा की (वेग और वास-सुविधा के मान जैसी) विशेषताओं और उल्लिखित मार्ग के किसी भाग के लिये दूसरी आकाश वाहनियों में की प्रभारावलि को सम्यक् रूपेण ध्यान में रखकर किसी करारकृत सेवा में की प्रभारावलि युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित की जायेगी । ये प्रभारावलियां इस अनुच्छेद के निम्न उपबन्धों के अनुकूल नियत की जायेंगी ।

(2) जहां भी यह संभव हो, सम्पृक्त नामांकित आकाश वाहनियां अन्तर्राष्ट्रीय वैमानिक परिवहन संघ के दर नियत करने वाले संगठन के माध्यम द्वारा प्रभारावलि के बारे में करार कर लेंगी । जब कि यह संभव न हो तब उल्लिखित मार्गों में से प्रत्येक के लिये प्रभारावलि सम्पृक्त नामांकित आकाश वाहनियों की पारस्परिक रजामन्दी से (नियत) होगी । हर सूरत में प्रभारावलियां दोनों संविदाकर्त्ता पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्यधीन रहेंगी ।

(3) यदि सम्पृक्त नामांकित आकाश वाहनियों में प्रभारावलियों के बारे में रजामन्दी नहीं हो पाती या यदि संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से किसी के वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा (2) के उपबन्धों के अनुकूल अपने समक्ष रखी गयी प्रभारावलियों का अनुमोदन नहीं करते तो संविदाकर्त्ता पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारी समुचित प्रभारावलि के बारे में रजामन्द होने के लिये प्रयास करेंगे ।

(4) यदि इस अनुच्छेद के पेरा (3) के अधीन रजामन्दी नहीं हो पाती तो विवाद वर्तमान करार के अनुच्छेद 14 के उपबन्धों के अनुकूल निपटाया जायेगा ।

(5) यदि संविदाकर्ता पक्षकारों में से किसी के वैमानिकी प्राधिकारी किसी नई प्रभारावलि से असन्तुष्ट हैं, तो वह वर्तमान करार के अनुच्छेद 14 के पेरा (3) के निबन्धनों के अधीन प्रभावशील होने के सिवाय प्रभावशील न होगी । प्रभारावलि का इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुकूल अवधारण लम्बित रहने तक पहले से ही प्रभावशील प्रभारावलि प्रभावशील बनी रहेगी ।

अनुच्छेद 12

(1) प्रत्येक संविदाकर्ता पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारी प्रार्थना किये जाने पर :-

(क) ट्रैफिक सम्बन्धी ऐसे आंकड़े जैसे कि करारकृत सेवाओं की आवृत्ति और वास सुविधा के पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिये समुचित हों,

(ख) करारकृत सेवाओं में नामांकित आकाश वाहनियों द्वारा वहन किये जाने वाले ट्रैफिक से सम्बद्ध ऐसे कालावधीय विवरण, जैसे कि युक्तियुक्तरूपेण अपेक्षित किये जायें, ऐसे ट्रैफिक के उद्भव और गन्तव्य स्थान सम्बन्धी जानकारी के सहित, और

(ग) ऐसी अन्य जानकारी जैसी कि करारकृत सेवाओं के चालन के बारे में युक्तियुक्त रूपेण अपेक्षित की जाये,

दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को देंगे ।

(2) प्रत्येक संविदाकर्ता पक्षकार की नामांकित आकाश वाहनियां समय सारणियों और प्रभारावलि अनुसूचियों की प्रतियां और करारकृत सेवाओं में चलने वाले विमानों के प्रकार सम्बन्धी ब्यौरे इतने अग्रिम समय पर, जितना कि साध्य हो, दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार के वैमानिकी प्राधिकारियों को देंगी ।

अनुच्छेद 13

वर्तमान करार की पूर्ति पर प्रभाव डालने वाली सब बातों के लिये घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करने के हेतु संविदाकर्त्ता पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच नियमित और बहुश: परामर्श होता रहेगा ।

अनुच्छेद 14

(1) यदि वर्तमान करार के निर्वचन या लागू होने के सम्बन्ध में कोई विवाद संविदाकर्त्ता पक्षकारों के बीच पैदा हो तो संविदाकर्त्ता पक्षकार प्रथमत: उसे पारस्परिक बातचीत से निपटाने का प्रयास करेंगे ।

(2) यदि संविदाकर्त्ता पक्षकार बातचीत द्वारा निपटारा करने में असफल रहते हैं तो विवाद संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से किसी की प्रार्थना पर तीन पंचों के अधिकरण को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा, जिनमें से एक एक तो प्रत्येक संविदाकर्त्ता पक्षकार द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा और तीसरा वह होगा जिसके लिये कि दोनों ऐसे चुने गये पंच रजामन्द हो गये हों, परन्तु ऐसा तीसरा पंच संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से किसी का राष्ट्रिक न होगा । प्रत्येक संविदाकर्त्ता पक्षकार उस तारीख से साठ दिन की कालावधि के अन्दर पंच नामांकित करेगा जिसको कि संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से किसी को दूसरे संविदाकर्त्ता पक्षकार से विवाद के पंच-निर्णयन की प्रार्थना करने वाला राजनयिक नोट प्राप्त हुआ है और तीसरे पंच के बारे में 60 दिनों की अगली कालावधि के अन्दर रजामन्दी कर ली जायेगी । यदि संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से कोई 60 दिनों की कालावधि के अन्दर अपना पंच नामांकित करने में असफल रहता है या यदि तीसरे पंच के बारे में उपनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर रजामन्दी नहीं हो पाती तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान से संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से किसी द्वारा प्रार्थना की जा सकेगी कि वह पंच या पंचों को नियुक्त कर दे ।

(3) संविदाकर्त्ता पक्षकार यह वचन भरते हैं कि वे इस अनुच्छेद के पैरा (2) के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय का अनुवर्तन करेंगे ।

अनुच्छेद 15

संविदाकर्त्ता पक्षकारों में से कोई वर्तमान करार में संशोधन करने के

प्रयोजन के लिये दूसरे संविदाकर्ता पक्षकार से परामर्श करने के लिये किसी समय प्रार्थना कर सकेगा और ऐसा परामर्श ऐसी प्रार्थना की तारीख से 60 दिन के अन्दर शुरू होगा । यदि संशोधन अनुसूची से ही सम्बद्ध हो तो परामर्श दोनों संविदाकर्ता पक्षकारों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच में होगा । जब ये प्राधिकारी नई या पुनरीक्षित अनुसूची के लिये रजामन्द हो जायें तब इस बात के बारे में उनकी सिफारिशें राजनयिक नोटों के विनिमय के द्वारा पुष्ट किये जाने के पश्चात् प्रभावशील होयेंगी ।

अनुच्छेद 16

यदि भारत सरकार और जापान सरकार वैमानिक परिवहन सम्बन्धी किसी बहुपक्षी करार में के पक्षकार हो जाती हैं तो वर्तमान करार ऐसे बहुपक्षी करार के उपबन्धों के अनुरूप किये जाने के लिये रूपभेदित कर लिया जायेगा ।

अनुच्छेद 17

वर्तमान करार और अनुच्छेद 15 के अनुसरण में विनिमय किये गये राजनयिक नोट अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानी संगठन के पास रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे ।

अनुच्छेद 18

(1) वर्तमान करार प्रत्येक संविदाकर्ता पक्षकार द्वारा अपनी वैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल अनुमोदित किया जायेगा और ऐसा अनुमोदन उपदर्शित करने वाले राजनयिक नोटों के विनिमय पर प्रवर्तन में आयेगा ।

(2) वर्तमान करार एक वर्ष की कालावधि तक प्रवर्तन में रहेगा और यदि संविदाकर्ता पक्षकारों में से कोई दूसरे पक्षकार को करार के खत्म करने के अपने आशय की सूचना इस करार के अवसान के तीन मास पूर्व नहीं दे तो यह एक वर्ष की दूसरी कालावधि के लिये, और ऐसी ही सूरत में आगे भी, प्रवर्तन में बना रहेगा ।

अनुच्छेद 19

वर्तमान करार हिन्दी, जापानी और अंग्रेजी भाषाओं में होगा ।

निर्वचन में फर्क होने की अवस्था में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा ।

जिसके साक्षीस्वरूप,

अपनी अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूपेण प्राधिकृत हम निम्न हस्ताक्षर कर्ताओं ने वर्तमान करार को हस्ताक्षरित किया है ।

आज 1955 के ..26 नवम्बर को...... दिन नई दिल्ली में दो प्रतियों में किया गया

भारत सरकार की ओर से

[illegible]

जापान सरकार की ओर से

Seijiro Yoshizawa

अनुसूची

खण्ड- 1

जापान की नामांकित आकाश वाहनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मार्ग :

टोकियो - ओसाका - फ्यूक्योका - ओकीनावा - फार्मोसा द्वीप में के स्थान - हांगकांग या मनीला - इन्डोचाइना में के स्थान - थाई भूमि में का स्थान - बर्मा में का स्थान - ढाका - कलकत्ता / दिल्ली और यदि इच्छा हो तो दोनों दिशाओं में के परेवाले स्थान ।

जापान की नामांकित आकाश वाहनी द्वारा इस मार्ग पर उपबन्धित की गई करारकृत सेवायें जापान के राज्य क्षेत्र में के किसी स्थान से शुरू होंगी किन्तु मार्ग में के अन्य स्थान नामांकित आकाश वाहनी के विकल्प पर सब या किन्हीं उड़ानों में छोड़े जा सकेंगे ।

खण्ड- 2

भारत की नामांकित आकाश वाहनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मार्ग :

भारत में के स्थान - पूर्वी पाकिस्तान में का स्थान - बर्मा में का स्थान - थाई भूमि में का स्थान - इन्डोचाइना में के स्थान - मनीला या हांगकांग - ओकीनावा - टोकियो और यदि इच्छा हो तो दोनों दिशाओं में के परेवाले स्थान ।

भारत की नामांकित आकाश वाहनी द्वारा इस मार्ग पर उपबन्धित करारकृत सेवायें भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी स्थान से शुरू होंगी किन्तु मार्ग में के अन्य स्थान नामांकित आकाश वाहनी के विकल्प पर सब या किन्हीं उड़ानों में छोड़े जा सकेंगे ।

AGREEMENT BETWEEN INDIA AND JAPAN
FOR AIR SERVICES

The Government of India and the Government of Japan,

Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have accordingly appointed their respective representatives for this purpose, who have agreed as follows:

ARTICLE 1

For the purpose of the present Agreement, the provisions of the Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944 (hereinafter called "Convention"), which are applicable to the air services established hereunder, shall, in their present terms or as amended in respect of both Contracting Parties in accordance with relevant provisions of the Convention, apply between the Contracting Parties for the duration of the present Agreement.

ARTICLE 2

(1) For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:-

(a) the term "aeronautical authorities" means, in the case of India, the Director General of Civil Aviation, India, and any person or body authorized to perform any functions presently exercised by the said Director General of Civil Aviation or similar functions, and, in the case of Japan, the Ministry of Transportation and any person or body authorized to perform any functions presently exercised by the said Ministry or similar functions;

(b) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated by written notification to the other Contracting Party for the operation of air services on the routes specified in such notification, and which has the appropriate operating permission from that other Contracting Party, in accordance with the provisions of Article 4 of the present Agreement;

(c) the term "air service" means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, cargo or mail;

(d) the term "international air service" means an air service which passes through the air space over the territory of more than one State;

(e) the term "airline" means any air transport enterprise offering or operating an international air service;

(f) the term "stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking on or putting down passengers, cargo or mail;

(g) the term "Schedule" means the Schedule to the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 15 of the present Agreement.

(2) The Schedule forms an integral part of the present Agreement, and all reference to the "Agreement" shall include reference to the Schedule except where otherwise provided.

ARTICLE 3

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement to enable its designated airlines to establish international air services on the routes specified in the appropriate Section of the Schedule (hereinafter called "agreed services" and "specified routes" respectively).

ARTICLE 4

(1) The agreed services on any specified route may be inaugurated immediately or at a later date at the option of the Contracting Party to which the rights are granted under Article 3 of the present Agreement, but not before,

(a) the Contracting Party to which the rights have been granted has designated an airline or airlines

for that route; and

(b) the Contracting Party granting the rights has given the appropriate operating permission to the airline or airlines concerned; which it shall, subject to the provisions of paragraph (2) of this Article and of paragraph (1) of Article 7, be bound to grant without delay.

(2) Each of the airlines designated may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by those authorities to the operation of international air services.

ARTICLE 5

(1) Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airlines of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:-

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Schedule for the purposes of putting down and of taking on

international traffic in passengers, cargo and mail.

(2) Nothing in paragraph (1) of this Article shall be deemed to confer on the airlines of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 6

(1) The charges which either of the Contracting Parties may impose, or permit to be imposed, on the designated airlines of the other Contracting Party for the use of airports and other facilities under its control shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by any national airline of the first Contracting Party in providing similar international air services.

(2) In respect of customs duties, inspection fees and similar national duties or charges on supplies of fuel, lubricating oils, spare parts, regular equipment and aircraft stores incorporated into or taken on board aircraft of the designated airlines of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended solely for use by or in such aircraft and remaining on board on departure from the last airport

of call in that territory, the designated airlines of the first Contracting Party shall be accorded treatment not less favourable than that granted by the second Contracting Party to the airlines of the most favoured nation or to its national airlines engaged in international air services; provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airlines of the other Contracting Party exemption or remission of customs duties, inspection fees or similar national duties or charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airlines of the first Contracting Party.

ARTICLE 7

(1) Each Contracting Party reserves the right to withhold or revoke the privileges specified in paragraph (1) of Article 5 of the present Agreement in respect of an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of such airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party.

(2) Each Contracting Party reserves the right to suspend

the exercise by a designated airline of the other Contracting Party of the privileges referred to in paragraph (1) above, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges, in any case where the airline fails to comply with such laws and regulations of the Contracting Party granting those privileges as referred to in Articles 11 and 13 of the Convention or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of such laws and regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 8

There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to establish and operate the agreed services between and beyond their respective territories.

ARTICLE 9

In the operation by the designated airlines of either Contracting Party of the agreed services, the interests of the designated airlines of the other Contracting Party shall be taken into consideration so as not to affect

unduly the services which the latter provides on all or part of the same routes.

ARTICLE 10

(1) The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for such services.

(2) The agreed services provided by a designated airline shall retain as their primary objective the provision of capacity adequate to current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:-

(a) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(b) the requirements of through airline operation; and

(c) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of local and regional services.

ARTICLE 11

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profits, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) Agreement on the tariffs shall, wherever possible, be reached by the designated airlines concerned through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. When this is not possible, tariffs in respect of each of the specified routes shall be agreed between the designated airlines concerned. In any case the tariffs shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines concerned cannot agree on the tariffs, or if the aeronautical authorities of either Contracting Party do not approve the tariffs submitted to them, in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to reach agreement on the appropriate tariffs.

(4) If the agreement under paragraph (3) of this Article

cannot be reached, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

(5) No new tariff shall come into effect if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the terms of paragraph (3) of Article 14 of the present Agreement. Pending determination of the tariffs in accordance with the provisions of this Article, the tariffs already in force shall prevail.

ARTICLE 12

(1) The aeronautical authorities of each Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party on request:

(a) such traffic statistics as may be appropriate for the purpose of reviewing the frequency and accommodation of the agreed services;

(b) such periodical statements as may reasonably be required relating to the traffic carried by the designated airlines on the agreed services including information concerning the origin and destination of such traffic; and

(c) such other information as may reasonably be required in respect of the operation of the agreed services.

(2) The designated airlines of each Contracting Party

16

shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, copies of time tables and tariff schedules and particulars concerning the types of aircraft to be operated on the agreed services.

ARTICLE 13

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.

ARTICLE 14

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by each Contracting Party and the third to be agreed upon by the two arbitrators so chosen, provided that such third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party. Each of the

11

Contracting Parties shall designate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a diplomatic note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed upon within a further period of sixty days. If either of the Contracting Parties fails to designate its own arbitrator within the period of sixty days or if the third arbitrator is not agreed upon within the period indicated, the President of the International Court of Justice may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

ARTICLE 15

Either Contracting Party may at any time request consultation with the other Contracting Party for the purpose of amending the present Agreement, such consultation to begin within a period of sixty days from the date of request. If the amendment relates only to the Schedule, the consultation shall be between the aeronautical authorities of both Contracting Parties. When these authorities agree on a new or revised Schedule, their recommendations on the matter will come into effect after they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE 16

If the Government of India and the Government of Japan become parties to any multilateral agreement concerning air transport, the present Agreement shall be modified to conform with the provisions of such multilateral agreement.

ARTICLE 17

The present Agreement and the diplomatic notes exchanged in accordance with Article 15 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 18

(1) The present Agreement shall be approved by each Contracting Party in accordance with its legal procedures, and shall enter into force upon exchange of diplomatic notes indicating such approval.

(2) The present Agreement shall remain in force for a period of one year, and, should neither Contracting Party notify the other, three months prior to its expiry, of its intention to terminate the Agreement, it shall continue in force for another period of one year and so on.

ARTICLE 19

The present Agreement shall be in the Hindi, Japanese and English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi, this twenty-sixth day of November, 1955.

FOR THE GOVERNMENT OF INDIA:

Jagjivan Ram

FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN:

Seijiro Yoshizawa

SCHEDULE

SECTION I

Route to be operated by the designated airline of Japan:

Tokyo - Osaka - Fukuoka - Okinawa - points on the island of Formosa - Hong Kong or Manila - points in Indo-China - a point in Thailand - a point in Burma - Dacca - Calcutta/Delhi and, if desired, points beyond, in both directions.

The agreed services provided by the designated airline of Japan on this route shall begin at a point in the territory of Japan, but other points on the route may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

SECTION II

Route to be operated by the designated airline of India:

Points in India - a point in East Pakistan - a point in Burma - a point in Thailand - points in Indo-China - Manila or Hong Kong - Okinawa - Tokyo and, if desired, points beyond, in both directions.

The agreed services provided by the designated airline of India on this route shall begin at a point in the territory of India, but other points on the route may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

(i) The schedule was first amended as a result of talks held in July 1970 in Tokyo.

(ii) Exchange of letters took place, on the basis of the above mentioned talks, between the Indian Ambassador in Tokyo and Minister of State, Minister for Foreign Affairs ad interim of Japan on 28-9-1973 in Tokyo.

As a result thereof the enclosed Schedule should be treated as the latest one.

Davindar Nath
23rd November, 1973

SCHEDULE

SECTION I

* Route to be operated b
Japan :

Tokyo - Osaka - Fukuok
of Formosa - Hong Kong
points in Indo-China -
in Malaysia and/or Sin
in Bangladesh - points
if desired, points bey

The agreed services pr
Japan on this route shall
of Japan, but other points
the designated airline be

SECTION I

Route to be operated
India:

Points in India - a p
Burma - Singapore and
point in Thailand - p
other points in East
- Naha - Osaka - Toky
in both directions.

(*) Limited to the
$25^{o}30'N$, and between

The agreed services prc
India on this route shall
of India, but other points
the designated airline be

第二部

インドの指定航空企業が運営する路線

両方向に、インド内の地点―東パキスタン内の一地点―ビルマ内の一地点―タイ内の一地点―インド・シナ内の地点―マニラ又は香港―沖縄―東京及び、希望するときは、以遠の地点

インドの指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、インドの領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、その路線上の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当つて、その指定航空企業の選択により省略することができる。

23

附表

第一部

日本国の指定航空企業が運営する路線

両方向に、東京－大阪－福岡－沖縄－台湾における地点－香港又はマニラ－インド・シナ内の地点－タイ内の一地点－ビルマ内の一地点－ダッカ－カルカッタ／デリー及び、希望するときは、以遠の地点

日本国の指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、日本国の領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、その路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当つて、その指定航空企業の選択により省略することができる。

22

千九百五十五年十一月二十六日にニュー・デリーで、本書二通を作成した。

インド政府のために

日本国政府のために

吉沢清次郎

の公文の交換の日に効力を生ずる。

(2) この協定は、一年間効力を存続し、いずれか一方の締約国がこの期間の満了の日の三箇月前までにこの協定を終了させる意思を他方の締約国に通告しないときは、さらに一年間なお効力を存続するものとし、その後も同様とする。

第十九条

この協定は、ヒンディ語、日本語及び英語によるものとする。解釈の相違がある場合には、英語の本文による。

以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この協定に署名した。

る。

第十六条

インド政府及び日本国政府が多数国間の航空運送協定の当事国となつたときは、この協定は、その多数国間の協定の規定に適合するように改正しなければならない。

第十七条

この協定及び第十五条の規定に従つて交換される外交上の公文は、国際民間航空機関に登録しなければならない。

第十八条

(1) この協定は、各締約国によりその国内法上の手続に従つて承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上

19

命するように要請することができる。

(3) 両締約国は、(2)の規定に基いて行われた決定を守ることを約束する。

第十五条

いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも、他方の締約国との協議を要請することができる。この協議は、要請があつた日から六十日の期間内に開始するものとする。改正が附表についてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行うものとする。両締約国の航空当局が新たな又は修正された附表について合意したときは、この事項に関する両締約国の航空当局の勧告は、外交上の公文の交換によつて確認された後に効力を生ず

国が指名する各一人の仲裁委員とこうして選定された二人の仲裁委員が合意する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁裁判所に決定のため付託することができる。ただし、第三の仲裁委員は、いずれかの締約国の国民であつてはならない。各締約国は、一方の締約国が紛争の仲裁を要請する外交上の公文を他方の締約国から受領した日から六十日の期間内に一人の仲裁委員を指定しなければならず、第三の仲裁委員については、その後の六十日の期間内に合意されなければならない。一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁委員を指定しなかつたとき、又は第三の仲裁委員について前記の期間内に合意されなかつたときは、いずれか一方の締約国は、国際司法裁判所長に対し、当該仲裁委員を任

17

らない。

第十三条

両締約国の航空当局は、この協定の実施に関するすべての事項について緊密な協力を確保するため定期的にしばしば協議しなければならない。

第十四条

(1) この協定の解釈又は適用に関して両締約国間に紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、両国の間の交渉によつてその紛争を解決するように努めなければならない。

(2) 両締約国が交渉によつて紛争を解決することができなかつたときは、その紛争は、いずれか一方の締約国の要請により、各締約

(1) 各締約国の航空当局は、要請を受けたときは、他方の締約国の航空当局に次のものを提供しなければならない。

(a) 協定業務の運航回数及び設備を検討するための適当な貨客の統計表

(b) 指定航空企業が協定業務において運送する貨客に関して合理的に必要とされる定期的報告書で、その貨客の出発地及び目的地に関する情報を含むもの

(c) 協定業務の運営に関して合理的に必要とされるその他の情報

(2) 各締約国の指定航空企業は、他方の締約国の航空当局に対し、あらかじめできる限り早期に、時間表、運賃表及び協定業務において運航される航空機の種類に関する明細書を提供しなければな

15

された運賃を(2)の規定に従つて認可しなかつた場合には、両締約国の航空当局は、適当な運賃について合意が成立するように努めなければならない。

(4) (3)の規定に基く合意が成立しなかつた場合には、その紛争は、第十四条の規定に従つて解決しなければならない。

(5) 新たな運賃の決定は、いずれか一方の締約国の航空当局がそれについて満足しない場合には、効力を生じないものとする。ただし、第十四条(3)の規定に基く場合は、この限りでない。この条の規定に従つて運賃が決定されるまでの間は、すでに実施されている運賃が適用されるものとする。

第十二条

14

路線のいずれかの部分についての他の航空企業の運賃を含むすべての関係要素に十分な考慮を払い、合理的な水準に定めなければならない。これらの運賃は、この条の次の規定に従つて定めるものとする。

(2) 運賃に関する合意は、可能なときはいつでも、関係指定航空企業が国際航空運送協会の運賃決定機関を通じて行うものとする。それが不可能なときは、各特定路線に関する運賃は、関係指定航空企業の間で合意しなければならない。いずれの場合にも、運賃は、両締約国の航空当局の認可を受けなければならない。

(3) 関係指定航空企業が運賃に関し(2)の規定に従つて合意することができなかつた場合又はいずれか一方の締約国の航空当局が提出

線上の地点で積み込み、及び積み卸す旅客、貨物及び郵便物の運送は、輸送力が次のものに関連すべきであるという一般原則に従つて規律されるものとする。

(a) その航空企業を指定した締約国の領域への及びその領域からの運輸需要量

(b) 直通航空業務運営の需要量

(c) その航空企業の路線が経由する地域の地方的業務を考慮した上でのその地域の運輸需要量

第十一条

(1) いずれの協定業務に対する運賃も、運営の経費、合理的な利潤、提供する役務の特性(たとえば、速力及び設備の程度)及び特定

他方の締約国の指定航空企業が同一の路線の全部又は一部において行う業務に不当な影響を及ぼさないように、その他方の締約国の指定航空企業の利益を考慮しなければならない。

第十条

(1) 締約国の指定航空企業が行う協定業務は、協定業務に対する公衆の需要量と密接な関係を有しなければならない。

(2) 指定航空企業が行う協定業務は、その航空企業を指定した締約国の領域から発し、又はその領域へ向う旅客、貨物及び郵便物の運送に対する当該時期における需要量及び合理的に予測される需要量に適合する輸送力を供給することを第一の目的としなければならない。その航空企業を指定した国以外の国の領域内の特定路

の特権の行使を停止し、又はその行使に対し必要と認める条件を課する権利を留保する。ただし、重ねて法令の違反が生ずることを防止するため、即時に停止し、又は条件を課するやむをえない必要がある場合を除くほか、この権利は、他方の締約国と協議した後にのみ行使しなければならない。

第八条

両締約国の航空企業は、両締約国の領域の間の及びその領域をこえての協定業務を開設し、及び運営する公平なかつ均等な機会を有する。

第九条

一方の締約国の指定航空企業が協定業務を運営するに当つては、

第七条

(1) 各締約国は、他方の締約国が指定した航空企業の実質的な所有及び実効的な支配がその航空企業を指定した締約国又はその締約国の国民に属していないと認めた場合には、第五条(1)に定める特権をその航空企業に関して与えず、若しくは取り消す権利又はその航空企業によるそれらの特権の行使に対し必要と認める条件を課する権利を留保する。

(2) 各締約国は、他方の締約国の指定航空企業が(1)において言及した特権を許与する締約国の法令で国際民間航空条約第十一条及び第十三条に掲げるものを守らなかつた場合又はこの協定で定める条件に従つて運営しなかつた場合には、その航空企業による前記

9

域内の最終着陸点である空港からの出発の際にその航空機に保留されているものに関する関税、検査手数料及びこれらに類似する国が課する租税その他の課徴金については、その他方の締約国の指定航空企業は、その一方の締約国が最恵国の航空企業又は国際航空業務に従事する自国の航空企業に許与する待遇よりも不利でない待遇を与えられるものとする。ただし、いずれの締約国も、自国の指定航空企業に対して他方の締約国が関税、検査手数料その他これらに類似する国が課する租税その他の課徴金を免除し、又は払いもどさない限り、他方の締約国の指定航空企業に対し、これらの課徴金を免除し、又は払いもどす義務を負わないものとする。

いて積み込む特権を与えるものとみなしてはならない。

第六条

(1) 各締約国がその管理の下にある空港その他の施設の使用について他方の締約国の指定航空企業に課し、又は課することを許す料金は、自国の航空企業が類似の国際航空業務を行うに当つて当該空港その他の施設を使用するため支払う料金よりも高額のものであつてはならない。

(2) 一方の締約国の領域内で他方の締約国の指定航空企業の航空機に取り付けられ、又は積載される需品としての燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品で、その航空機により又はその航空機において使用することのみを目的とし、かつ、同領

7

第五条

(1) 各締約国の指定航空企業は、この協定の規定に従うことを条件として、特定路線における協定業務を運営する間、次の特権を享有するものとする。

(a) 他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する特権

(b) 運輸以外の目的で他方の締約国の領域に着陸する特権

(c) 国際運輸の対象たる旅客、貨物及び郵便物の積卸及び積込のため、当該特定路線について附表で定める他方の締約国の領域内の地点に着陸する特権

(2) (1)の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、他方の締約国の領域内の別の地点に向う旅客、貨物又は郵便物をその領域内にお

6

権利を許与された締約国の選択により、即時又は後日開始することができる。ただし、次のことが行われた後でなければならない。

(a) 権利を許与された締約国がその特定路線について一又は二以上の航空企業を指定すること。

(b) 権利を許与する締約国が当該航空企業に対し適当な運営許可を与えること。同締約国は、(2)及び第七条(1)の規定に従うことを条件として、遅滞なくこの許可を与えなければならない。

(2) 一方の締約国の航空当局は、他方の締約国が指定した各航空企業が、同航空当局により国際航空業務の運営に通常かつ合理的に適用される法令で定める要件を満たす者である旨を立証することを、その航空企業に要求することができる。

改正される同附表をいう。

(2) 附表は、この協定の不可分の一部をなすものとし、「協定」というときは、別段の定がある場合を除くほか、附表を含むものとする。

第三条

各締約国は、他方の締約国に対し、その指定航空企業が附表の該当する部に定める路線（以下「特定路線」という。）における国際航空業務（以下「協定業務」という。）を開設することができるようにするため、この協定で定める権利を許与する。

第四条

(1) いずれの特定路線における協定業務も、第三条の規定に基いて

路線における航空業務の運営について指定し、かつ、他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。

(c) 「航空業務」とは、旅客、貨物又は郵便物の公衆用の運送のために航空機で行う定期航空業務をいう。

(d) 「国際航空業務」とは、二以上の国の領域上の空間にわたつて行う航空業務をいう。

(e) 「航空企業」とは、国際航空業務を提供し、又は運営する航空運送企業をいう。

(f) 「運輸以外の目的での着陸」とは、旅客、貨物又は郵便物の積込又は積卸以外の目的で着陸することをいう。

(g) 「附表」とは、この協定の附表又は第十五条の規定に従つて

し改正された条項により、この協定の存続期間中、両締約国の間に適用されるものとする。

第二条

(1) この協定の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、

(a) 「航空当局」とは、インドにあつてはインド民間航空局長官及び同長官が現在遂行している任務又はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人又は機関をいい、日本国にあつては運輸省及び同省が現在遂行している任務又はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人又は機関をいう。

(b) 「指定航空企業」とは、第四条の規定に従い、一方の締約国が、他方の締約国に対し、通告書により、その通告書に定める

航空業務に関するインドと日本国との間の協定

インド政府及び日本国政府は、
それぞれの領域の間の及びその領域をこえての航空業務を開設するために協定を締結することを希望し、
よつて、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。

第一条

この協定に関しては、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名された国際民間航空条約（以下「国際民間航空条約」という。）の規定でこの協定に基いて開設される航空業務に適用することができるものは、現在の条項又は同条約の関係規定に従つて両締約国に関

New Delhi, November 26, 1955.

Monsieur le Ministre,

With reference to the Agreement between Japan and India for Air Services signed today, I have the honour to state that the following is the understanding of the Government of Japan:

If Japan resumes the exercise of administrative, legislative and jurisdictional authority over Okinawa, the designated airline of India would, from the date of such resumption, cease to exercise traffic rights at Okinawa; in which case the Government of Japan will enter without delay into negotiations with the Government of India in respect of such rights.

I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm, on behalf of your Government, that this is also the understanding of the Government of India.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my highest consideration.

Seijiro Yoshizawa

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan.

His Excellency
Mr. Jagjivan Ram,
Minister for Communications,
Government of India,
New Delhi

本使は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十五年十一月二十六日

日本国特命全権大使　吉沢清次郎

インド政府通信大臣
ジャグジヴァン・ラーム閣下

書簡をもつて啓上いたします。本日署名された航空業務に関する日本国とインドとの間の協定に関し、本使は、次のことが日本国政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

日本国が沖縄に対する行政上、立法上及び司法上の権能を再び行使する場合には、インドの指定航空企業は、その行使の開始の日から沖縄における運輸上の権利の行使を終止する。この場合には、日本国政府は、遅滞なく前記の権利に関してインド政府と交渉を開始する。

さらに、本使は、閣下が、前記のことがインド政府の了解でもあることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

New Delhi, November 26, 1955.

Monsieur le Ministre,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date reading as follows:

"With reference to the Agreement between India and Japan for Air Services signed today, I have the honour to state that the following is the understanding of the Government of India of the phrase "Calcutta/Delhi" in the Japanese route specified in the Schedule to the said Agreement:

1. In case the designated airline of Japan operates the agreed service only once a week, such airline may make traffic stops both at Calcutta and Delhi.

2. In case the designated airline of Japan operates the agreed service twice or more times a week, such airline may make a traffic stop at either Calcutta or Delhi at the option of such designated airline on each flight, unless otherwise mutually agreed.

His Excellency
Mr. Jagjivan Ram,
Minister for Communications,
Government of India,
New Delhi

"I have further the honour to request Your Excellency to be good enough to confirm, on behalf of your Government, that this is also the understanding of the Government of Japan."

I have further the honour to confirm on behalf of my Government that this is also the understanding of the Government of Japan.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency, Monsieur le Ministre, the assurance of my highest consideration.

Seijiro Yoshizawa

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan.

本使は、以上を申し進めますに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。

千九百五十五年十一月二十六日

日本国特命全権大使　吉沢清次郎

インド政府通信大臣

ジャグジヴァン・ラーム閣下

2 日本国の指定航空企業が週に二回以上協定業務を運営する場合には、その航空企業は、相互間の別段の合意がない限り、各飛行に当つてその航空企業の選択によりカルカッタ又はデリーのいずれかに運輸のため着陸することができる。

さらに、本大臣は、閣下が、前記のことが日本国政府の了解でもあることを閣下の本国政府に代つて確認されることを要請する光栄を有します。

本使は、政府に代つて、前記のことが日本国政府の了解でもあることを確認する光栄を有します。

書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

本日署名された航空業務に関するインドと日本国との間の協定に関し、本大臣は、次のことが、同協定の附表に定める日本側の路線における「カルカッタ／デリー」についてのインド政府の了解である旨を述べる光栄を有します。

1　日本国の指定航空企業が週に一回だけ協定業務を運営する場合には、その航空企業は、カルカッタ及びデリーの両地点に運輸のため着陸することができる。